भूकंप-पीड़ितों के लिए पुनर्वास परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

3760. **श्री सुशीलकुमार संभाजीराव सिंदे** : क्या वित्त मंत्री 8 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2091 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के भूकंप-पीड़ितों के लिए आपात पुनर्वास परियोजना हेतु इसकी सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है, यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र में भूकंप-पीड़ितों के पुनर्वास हेतु विश्व के देशों द्वारा भेजी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) और (ख) जी, हां। 246.00 मिलियन अमरीकी डालर के औद्योगिक विकास संघ के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार महाराष्ट्र के भूकम्प-पीड़ितों के लिए आपात पुनर्वास परियोजना हेतु हस्ताक्षरित हुआ है।

विभिन्न देशों/संगठनों (विश्व बैंक सहित) द्वारा महाराष्ट्र में भूकम्प से राहत के लिए प्रस्तावित सहायता की कुल राशि अब लगभग 859.8 करोड़ रुपए बैठती है।

Hike in Service Charges of Public Sector Banks

3761. SHRI SOM PAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are allowing the public sector banks to effect a steep hike in their service charges ;

(b) if so, what are the details and rationale thereof ;

(c) whether any steps are taken/being taken to bring about improvement in the quality of services offered by the banks to consumers and depositors ; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Based on the recommendations of the Committee of Public Sector Banks on Service Charges, all public sector banks have adopted a common schedule of service charges which lays down the minimum that can be charged. It has been left to the discretion of individual banks to selectively levy higher charges if special circumstances so warrant. The service charges are decided by the banks after taking into account the cost of inputs.

(c) and (d) With a view to improve the quality of customer services offered by the banks, a Committee under the Chairmanship of Sh. M. N. Goiporia, the then Chairman, State Bank of India was constituted in September, 1990 to study the current state of customer service in banks and to suggest measures to improve the same. The Committee had made wide ranging recommendations covering—

(i) improvement of customer service by enlarging the scope of teller services, extending banking hours for non-cash transactions, devising appropriate procedures to render uninterrupted service during business hours ;

(ii) opening of specialised branches focussing on international banking, industrial finance, small scale industries ;

(iii) technology upgradation and continuous review of systems and procedures in tune with the changing needs of customers ; and

(iv) compensating customers for delay in collection of cheques, payment by mail transfer, telegraphic transfer, etc. Reserve Bank of India have issued instructions to the banks for implementation of the accepted recommendations of the Committee.

तम्बाकू कम्पनियों से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

3762. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने शुल्क की भुगतान नहीं किया है और ऐसी प्रत्येक कम्पनी पर कितनी धनराशि बकाया है ;

(ग) क्या सरकार उन कम्पनियों के विरुद्ध बकाया राशि को वसूलने हेतु कड़े उपाय करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (क) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों से वसूल की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1991-92 . .	2690.81 करोड़ रुपये
1992-93 . .	3104.75 करोड़ रुपये
1993-94 . .	3301.50 करोड़ रुपये
(संशोधित अनुमान)	

(ख) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 74]

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ निरपवाद रूप से कार्रवाई की जाती है । तथापि इन प्रयोजनों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

बकाया ऋणों की वसूली

3763. श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए निकट भविष्य में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है और बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ङ) अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्तर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने, बकों और वित्तीय संस्थाओं को शीघ्र ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली और उससे संबद्ध अथवा प्रासंगिक मामलों के शीघ्र न्याय-निर्णयन के लिये अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ।

(ग) और (घ) सरकार को, भारतीय स्टेट बैंक से, उसके सात अनुषंगी बैंकों को एकल बैंक में विलय करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से विचाराधीन है और इस स्थिति में, इस संबन्ध में कोई भी निर्धारित समय-सीमा बतायी नहीं जा सकती ।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता, उत्पादकता और कारगरता में सुधार लाने संबंधी सुधार योजनाएं तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण के जरिए बकों का प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण भी शामिल है । अगले कुछ वर्षों में, बैंकों के 500 शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अन्य एशियाई देशों में प्रचलित प्रणाली के मानकों के साथ तुलना करने के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए वस्तुनिष्ठ, अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लेखा मानक तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

Decline in per Capita Income

3764. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether India's per capita income recorded a decline of $ 20 in 1992 over the previous year as per the 26th edition of the World Bank Atlas ;

(b) if so, how do these figures compare with Government's corresponding figures in terms of dollars and the Indian rupee ; and

(c) what is the estimated per capita income for 1993 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) As per the Twenty Sixth World Bank Atlas the per capita GNP figures for India are stated to be US Dollar 310 in 1992 as against US Dollar 330 in 1991. It may be noted that these figures are on a Calendar year basis arrived at by using a conversion method to smooth fluctuations in prices and exchange rates. In contrast, Central Statistical Organisation brings out broad macro aggregates on a financial year basis both at current and constant prices in Rupee terms only. The latest available estimates of per capita income are as under :